न्यायालय अति० जिला कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट चूरू

पीठासीन अधिकारी : अर्पिता सोनी (आर.ए.एस)

इस्तगासा संख्या 2023/15 **दायर दिनांक 25.01.2023**

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक चूरु जिला चूरु (राजस्थान) —सायल—

बनाम

रवि पुत्र धर्मवीर सिंह जाति मेघवाल उम्र 32 साल निवासी सिद्धमुख पुलिस थाना सिद्धमुख जिला चूरू। —गैरसायल—

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राज. गुण्डा नियन्त्रण अधि0 1975

उपस्थित :—

1. **अभियोजन अधिकारी (पैरोकार राज.) वास्ते सायल।**
2. **गैरसायल के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।**

निर्णय **दिनांक : 30.05.2025**

यह इस्तगासा पुलिस अधीक्षक चूरु द्वारा प्रस्तुत होने पर इस न्यायालय में दर्ज ऑनलाईन किया गया। इस्तगासा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है गैरसायल रवि पुत्र धर्मवीर सिंह जाति मेघवाल उम्र 32 साल निवासी सिद्धमुख पुलिस थाना सिद्धमुख जिला चूरु का रहने वाला है जो अवैध जुआ सट्टा करने का आदी है। जवान उम्र का आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है जो अवैध जुआ सट्टा की खाईवाली कर गरीब तबके के लोगों को पैसे का लालच देकर आम जनता का आर्थिक नुकसान करता है, जिससे समाज में लगातार अनेक अपराधों को बढ़ावा मिल रहा है, इसकी आपराधिक गतिविधियां काफी गम्भीर है, मगर पुलिस की नजरों से बचने का प्रयास करता रहता है, जिस कारण कई बार पकड़ में नहीं आता है। ऐसी परिस्थितियों में कानून व्यवस्था कभी भी प्रभावित हो सकती है। गैरसायल की बढ़ती हुई गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक है। गैरसायल के विरूद्ध निम्नांकित मुकदमें दर्ज होकर सजायाब हुआ है :—

क. स.	मुकदमा न0 एवं दिनांक	जुर्म धारा	नाम थाना	चालान दिनांक	फैसला अदालत
1.	49 / 18.05.2021	13 आरपीजीओ	सिद्धमुख	09.07.2021	सजा 09.07.2021
2	73 / 14.07.2021	13 आरपीजीओ	सिद्धमुख	20.07.2021	पैण्डिगं कोर्ट
3.	156 / 24.12.2021	13 आरपीजीओ	सिद्धमुख	10.05.2022	सजा 10.05.2022
4.	36 / 17.03.2022	16 / 54 राज. आब. अधि.	सिद्धमुख	10.05.2022	सजा 10.05.2022
5.	63 / 24.05.2022	13 आरपीजीओ	राजगढ़	31.05.2022	सजा 05.08.2022
6.	194 / 27.12.2022	13 आरपीजीओ	सिद्धमुख	28.12.2022	पैण्डिगं कोर्ट

इस प्रकार से गैर सायल रवि की आपराधिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही है एवं गरीब तबके के लोग अपनी सम्पति की सुरक्षा के बारे में आशंकित है, इसकी ऐसी गतिविधियां या कार्य से जिले व जिले के किसी भाग में सम्पति को संत्रास खतरा हो रहा है या होने की संभावना है तथा अवैध आर्थिक लाभ हेतु लोगों

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

को लालच देकर सट्टा की खाईवाली करने का अभ्यस्त अपराधी है, जिससे समाज के नवयुवकों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक चूरू ने गैरसायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही करने का निवेदन किया।

गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैर सायल को तामिल होने के उपरान्त स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं आने पर गैर सायल के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

पैरोकार राज सहायक लोक अभियोजक की बहस एकपक्षीय सुनी गई। उन्होनें इस्तागासा के तथ्यों दौहराते हुए अपनी बहस में कहा कि गैरसायल को 03 बार, 13 आरपीजीओ में सजा दी जा चुकी है। गैर सायल अन्तर्गत धारा 3(3) राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की परिभाषा में आता है। गैर सायल अपराधी गतिविधियों में भाग लेता है इसलिए गैरसायल को जिले से बाहर निष्कासित किया जावें ताकि समाज में शांति व्यवस्था कायम रह सके।

पैरोकार राज सहायक लोक अभियोजक चूरू की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भली–भान्ति अवलोकन किया गया। इस्तगासे के अनुसार गैरसायल को 03 बार 13 आरपीजीओ के तहत जिनमें सजा दिनांक 09.07.2021, 10.05.2022 व 05.08.2022 तथा एक बार 16/54 राज. आब. अधि में सजा दिनांक 10.05.2022 द्वारा दण्डित किया जा चुका है जिससे दोष प्रमाणित हैं। इस प्रकार राजस्थान गुण्डा एक्ट नियन्त्रण अधिनियम 1975 के अन्तर्गत गैरसायल गुण्डा की परिधि में आता है।

उपर्युक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक चूरू द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा धारा 3 राजस्थान गुण्डा एक्ट नियन्त्रण अधिनियम, 1975 विरूद्ध गैरसायल रवि पुत्र धर्मवीर सिंह जाति मेघवाल उम्र 32 साल निवासी सिद्धमुख पुलिस थाना सिद्धमुख जिला चूरू स्वीकार किया जाता है तथा गैरसायल को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत 15 दिवस के लिए जिले से बाहर निर्वासित किया जाता है। थानाधिकारी पुलिस थाना सिद्धमुख गैरसायल को थानाधिकारी पुलिस थाना भादरा जिला हनुमानगढ़ को सुपुर्द करेंगे जो कि थानाधिकारी पुलिस थाना भादरा जिला हनुमानगढ़ की देखरेख में 15 दिवस के लिए रहेगा एवं प्रत्येक सोमवार को थानाधिकारी पुलिस थाना भादरा जिला हनुमानगढ़ में हाजरी देने हेतु उपस्थित होगा। निर्णय की प्रति पालना हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना सिद्धमुख जिला चूरू व थानाधिकारी पुलिस थाना भादरा जिला हनुमानगढ़ तथा पुलिस अधीक्षक चूरू को भेजी जावें। पत्रावली बाद कार्यवाही अभिलेखागार भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अर्पिता सोनी)
अति0 जिला कलक्टर एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, चूरू